Journal of Advances in Developmental Research (IJAIDR)

E-ISSN: 0976-4844 ● Website: www.ijaidr.com ● Email: editor@ijaidr.com

उच्च शिक्षा में समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी: एक अध्ययन

डॉ. अक्षय सुराणा

सहायक आचार्य

शहीद गोरख राम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसियां, जोधपुर (राजस्थान)

सारांश

प्रस्तुत शोध *"उच्च शिक्षा में समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी"* उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक सहभागिता, अवसरों की समानता तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रवेश सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली, भौतिक संरचना तथा शैक्षिक संसाधनों को इस प्रकार रूपांतरित करना है कि सभी विद्यार्थी अपनी क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा ग्रहण कर सकें। यह अध्ययन भारतीय उच्च शिक्षा के संदर्भ में नीतिगत प्रावधानों, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों का विश्लेषण करता है। शोध में यह भी विवेचित किया गया है कि सहायक प्रौद्योगिकी, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम लचीलापन तथा संवेदनशील अकादमिक वातावरण किस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता और सामाजिक समावेशन को प्रभावित करते हैं। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि प्रभावी समावेशी उच्च शिक्षा के लिए संरचनात्मक सुधार, दृष्टिकोणात्मक परिवर्तन तथा बहु-अनुशासनात्मक सहयोग अनिवार्य हैं। यह शोध नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं संस्थागत प्रशासकों के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

मुख्य शब्द—समावेशी शिक्षा, उच्च शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, दिव्यांगता अध्ययन, शैक्षिक समानता

1. प्रस्तावना

विशेषावश्यकतायुक्ताः ये छात्रा ज्ञानकाङ्क्षिणः।
तेषां समर्थनं शिक्षा उच्चशिक्षायाः भूषणम्॥
(जो विद्यार्थी विशेष आवश्यकताओं (शारीरिक, मानसिक या संवेदनात्मक) से युक्त होते हुए भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन विद्यार्थियों को उचित सहयोग और समर्थन प्रदान करना ही उच्च शिक्षा की वास्तविक शोभा और गौरव है।)

समावेशी शिक्षा की अवधारणा शिक्षा को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्थापित करती है, जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की शारीरिक, बौद्धिक, संवेदी, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक भिन्नताओं के बावजूद सभी शिक्षार्थियों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। समावेशन केवल शैक्षिक संस्थानों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम संरचना, मूल्यांकन प्रणाली और संस्थागत संस्कृति में समता, सम्मान और सहभागिता को सुनिश्चित करने की समग्र दृष्टि है। यूनेस्को ने समावेशी शिक्षा को विविधता को स्वीकारने और उसे सशक्त बनाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जो शिक्षा प्रणालियों को अधिक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण बनाती है (UNESCO, 1994)। इस संदर्भ में समावेशी शिक्षा सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा के सिद्धांतों से गहराई से जुड़ी हुई है।

उच्च शिक्षा में समावेशन की आवश्यकता इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यही स्तर ज्ञान उत्पादन, नेतृत्व निर्माण और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता का प्रमुख माध्यम है। यदि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो यह न केवल उनकी व्यक्तिगत संभावनाओं को सीमित करता है, बल्कि समाज को भी उनकी क्षमताओं और योगदान से वंचित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला और बहुआयामी बनाने पर बल देती है, ताकि विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले विद्यार्थी—विशेष रूप से दिव्यांगजन—मुख्यधारा की अकादमिक संरचना में प्रभावी रूप से भाग ले सकें (भारत सरकार, 2020)। इस प्रकार उच्च शिक्षा में समावेशन सामाजिक समानता को व्यवहारिक रूप देने का एक सशक्त माध्यम बनता है।

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि नीतिगत प्रावधानों के बावजूद व्यवहारिक स्तर पर अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भौतिक अवसंरचना की अपर्याप्तता, सहायक प्रौद्योगिकी की सीमित उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी तथा नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण उनके शैक्षिक अनुभव को प्रभावित करते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 समान अवसर और पहुँच की गारंटी देता है, किंतु उच्च शिक्षण संस्थानों में इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अभी भी अंतराल दिखाई देता है (भारत सरकार, 2016)। परिणामस्वरूप, अनेक विद्यार्थी या तो उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं कर पाते या प्रवेश के बाद अकादमिक और सामाजिक समायोजन की कठिनाइयों से जूझते हैं। प्रस्तुत अध्ययन की प्रासंगिकता और औचित्य इसी पृष्ठभूमि में निहित है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली तीव्र संरचनात्मक और नीतिगत परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है, जहाँ समावेशन को गुणवत्ता का अनिवार्य घटक माना जा रहा है। इसके बावजूद, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के अनुभवों, संस्थागत तैयारियों और समावेशी व्यवहारों पर केंद्रित शोध अपेक्षाकृत सीमित हैं। यह अध्ययन न केवल समावेशी शिक्षा की वैचारिक और नीतिगत समझ को सुदृढ़ करता है, बल्कि व्यवहारिक स्तर पर मौजूद चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यह शोध शिक्षाविदों, नीति-निर्माताओं और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है, जिससे समावेशी और समानतामूलक उच्च शिक्षा की दिशा में ठोस पहल की जा सके।

समावेशी शिक्षा की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए सर्वप्रथम *समावेशन* और *एकीकरण* के बीच के मूलभूत अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक है। एकीकरण (Integration) की अवधारणा यह मानकर चलती है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को मौजूदा शिक्षा प्रणाली में स्वयं को अनुकूलित करना होगा, जबकि समावेशन (Inclusion) इस धारणा को उलट देता है और शिक्षा व्यवस्था को ही विविध आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित करने पर बल देता है। समावेशन में समस्या को विद्यार्थी में न देखकर शैक्षिक संरचना, शिक्षण पद्धति और संस्थागत संस्कृति में खोजा जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि एकीकरण अक्सर प्रतीकात्मक सहभागिता तक सीमित रह जाता है, जबकि समावेशन सक्रिय भागीदारी, सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करता है (Ainscow, 2005)। इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा उच्च शिक्षा को अधिक लोकतांत्रिक और उत्तरदायी बनाती है।

समावेशी शिक्षा के सैद्धान्तिक विकास में चिकित्सकीय *मॉडल* और *सामाजिक मॉडल* की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है। चिकित्सीय मॉडल दिव्यांगता को एक व्यक्तिगत कमी या रोग के रूप में देखता है, जिसका समाधान उपचार, पुनर्वास या विशेष व्यवस्था के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, सामाजिक मॉडल यह तर्क प्रस्तुत करता है कि दिव्यांगता का निर्माण व्यक्ति की अक्षमता से नहीं, बल्कि समाज द्वारा निर्मित भौतिक, सामाजिक और दृष्टिकोणात्मक बाधाओं से होता है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक मॉडल यह संकेत देता है कि यदि पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और अवसंरचना समावेशी हों, तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी समान रूप से सफल हो सकते हैं (Oliver, 1996)। समावेशी शिक्षा का संपूर्ण सैद्धान्तिक ढाँचा सामाजिक मॉडल पर आधारित है, जो समानता और न्याय को केंद्र में रखता है।

समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत विविधता की स्वीकृति, समान सहभागिता, लचीलापन और सहयोगात्मक अधिगम पर आधारित हैं। यह दृष्टिकोण यह मानता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की क्षमता और शैली भिन्न होती है, इसलिए एक समान शिक्षण पद्धति सभी के लिए प्रभावी नहीं हो सकती। इसी संदर्भ में *सार्वभौमिक अधिगम रूपरेखा*

(Universal Design for Learning) का सिद्धांत सामने आता है, जो शिक्षण सामग्री, अभिव्यक्ति के साधनों और मूल्यांकन के तरीकों में बहुविकल्पीयता पर बल देता है (CAST, 2018)। इन सिद्धांतों का उद्देश्य केवल विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाना नहीं, बल्कि संपूर्ण विद्यार्थी समुदाय के लिए शिक्षण-अधिगम को अधिक प्रभावी बनाना है।

समावेशी शिक्षा का मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण इसे एक नैतिक और कानूनी अनिवार्यता के रूप में स्थापित करता है। संयुक्त राष्ट्र का दिव्यांगजन अधिकार अभिसमय (UNCRPD) स्पष्ट रूप से यह मान्यता देता है कि शिक्षा तक समान पहुँच प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और राज्य का दायित्व है कि वह बिना किसी भेदभाव के समावेशी शिक्षा प्रणाली विकसित करे (United Nations, 2006)। भारतीय संदर्भ में भी यह दृष्टिकोण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रतिबिंबित होता है, जहाँ उच्च शिक्षा में पहुँच, भागीदारी और गरिमा को केंद्रीय मूल्य माना गया है (भारत सरकार, 2016; भारत सरकार, 2020)। इस प्रकार समावेशी शिक्षा की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और समानता के व्यापक विमर्श से जुड़ी हुई है और उच्च शिक्षा को अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी और समतामूलक बनाने की दिशा प्रदान करती है।

2. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की अवधारणा और प्रकार

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की अवधारणा शिक्षा में समानता और न्याय के विमर्श से गहराई से जुड़ी हुई है। सामान्यतः *विशेष आवश्यकता* से तात्पर्य उन शैक्षिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से है, जो किसी विद्यार्थी की शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक अथवा भावनात्मक भिन्नताओं के कारण उत्पन्न होती हैं और जिनकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त या वैकल्पिक शैक्षिक सहायता की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में विशेष आवश्यकता को किसी कमी के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय विविधता के एक स्वाभाविक रूप में देखा जाता है। यूनेस्को के अनुसार, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी वे हैं जिनकी सीखने की प्रक्रिया सामान्य शिक्षण ढाँचों से भिन्न होती है और जिनके लिए अनुकूलित शिक्षण रणनीतियों की आवश्यकता होती है (UNESCO, 2017)। यह दृष्टिकोण उच्च शिक्षा को अधिक लचीला और उत्तरदायी बनाने की माँग करता है।

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सामान्यतः शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक और मनोसामाजिक श्रेणियों में समझा जाता है, हालाँकि व्यावहारिक स्तर पर ये श्रेणियाँ अक्सर एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। शारीरिक आवश्यकताओं में गतिशीलता से संबंधित कठिनाइयाँ शामिल होती हैं, जिनके कारण परिसर की भौतिक पहुँच, जैसे रैम्प, लिफ्ट और अनुकूल फर्नीचर, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। संवेदी आवश्यकताओं में दृष्टि और श्रवण बाधितता प्रमुख है, जहाँ ब्रेल सामग्री, स्क्रीन रीडर, सांकेतिक भाषा और कैप्शन जैसी सुविधाएँ सीखने को संभव बनाती हैं। बौद्धिक आवश्यकताओं के अंतर्गत बौद्धिक अक्षमताएँ और विकासात्मक विलंब आते हैं, जिनके लिए सरल भाषा, संरचित शिक्षण और निरंतर अकादमिक सहयोग की आवश्यकता होती है। वहीं, मनोसामाजिक आवश्यकताओं में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, जैसे चिंता, अवसाद और सामाजिक समायोजन की कठिनाइयाँ शामिल हैं, जो उच्च शिक्षा के दबावपूर्ण वातावरण में विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाती हैं (WHO, 2011)।

आधुनिक विमर्श में *बहु-दिव्यांगता* और *सीखने की विशिष्ट कठिनाइयाँ* विशेष ध्यान आकर्षित करती हैं। बहु-दिव्यांगता का तात्पर्य एक से अधिक प्रकार की अक्षमताओं की सह-उपस्थिति से है, जिससे शैक्षिक आवश्यकताएँ और अधिक जटिल हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त, सीखने की विशिष्ट कठिनाइयाँ—जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया—अक्सर दिखाई नहीं देतीं, किंतु ये उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। शोध यह संकेत देता है कि इन कठिनाइयों की पहचान और स्वीकार्यता की कमी के कारण अनेक विद्यार्थी अपनी वास्तविक क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते (Shaywitz, 2003)। समावेशी दृष्टिकोण इन अदृश्य आवश्यकताओं को भी समान रूप से महत्वपूर्ण मानता है। उच्च शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति और प्रतिनिधित्व का विश्लेषण यह दर्शाता है कि यद्यपि नामांकन में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है, फिर भी उनकी भागीदारी कुल विद्यार्थी जनसंख्या की तुलना में अत्यंत सीमित है। भारतीय संदर्भ में यह स्थिति सामाजिक

कलंक, सीमित जानकारी, संस्थागत संसाधनों की कमी और नीतियों के अपूर्ण क्रियान्वयन से जुड़ी हुई है (UGC, 2019)। अनेक विद्यार्थी प्रवेश के बाद भी पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और सामाजिक जीवन में समायोजन की चुनौतियों का सामना करते हैं, जिससे उनकी प्रतिधारण और सफलता दर प्रभावित होती है। इस प्रकार, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की अवधारणा और प्रकारों को समझना केवल वर्गीकरण का अभ्यास नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा में वास्तविक समावेशन की दिशा में एक अनिवार्य सैद्धान्तिक आधार प्रदान करता है।

3. उच्च शिक्षा में समावेशी शिक्षा की नीतियाँ और विधिक प्रावधान

उच्च शिक्षा में समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न नीतिगत और विधिक ढाँचे विकसित किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 इस संदर्भ में विशेष महत्व रखती है। यह नीति शिक्षा में समावेशन, समानता और लचीलापन को केंद्रीय मूल्य के रूप में स्थापित करती है। नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को न केवल प्रवेश का अधिकार होना चाहिए, बल्कि उन्हें आवश्यक संसाधन, सहायक प्रौद्योगिकी और सशक्त समर्थन भी प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने शैक्षिक और अकादमिक लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकें (भारत सरकार, 2020)। NEP 2020 में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए विविधता-सक्षम पाठ्यक्रम, सहायक उपकरण, डिजिटल पहुँच और समावेशी शिक्षण विधियों को अपनाने का मार्गदर्शन दिया गया है।

इसके साथ ही, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 भारत में समावेशी शिक्षा की कानूनी नींव प्रदान करता है। इस अधिनियम के अनुसार, उच्च शिक्षण संस्थानों को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए भौतिक पहुँच, सहायक उपकरण, पाठ्यक्रम लचीलापन और संलग्नक सेवाएँ सुनिश्चित करनी अनिवार्य हैं। अधिनियम यह भी स्पष्ट करता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव शिक्षा के क्षेत्र में स्वीकार्य नहीं है और राज्य व संस्थान दोनों के पास समान अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी है (भारत सरकार, 2016)।

शैक्षिक गुणवत्ता और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए UGC और AICTE ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए समावेशी नीतियाँ अपनाने, अनुकूलित पाठ्यक्रम विकसित करने और सहायक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का मार्गदर्शन दिया है। AICTE ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु विशेष योजनाएँ लागू की हैं। ये दिशा-निर्देश संस्थानों को न केवल कानूनी दायित्वों के प्रति जागरूक करते हैं, बल्कि व्यावहारिक स्तर पर समावेशन सुनिश्चित करने के उपायों का ढाँचा भी प्रदान करते हैं (UGC, 2019; AICTE, 2018)।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन (UNCRPD, 2006) और सतत विकास लक्ष्य (SDGs, 2030) उच्च शिक्षा में समावेशी शिक्षा की दिशा और मानक स्थापित करते हैं। UNCRPD विशेष रूप से यह रेखांकित करता है कि शिक्षा तक समान पहुँच एक मौलिक मानवाधिकार है और राज्य तथा शिक्षण संस्थान इसके कार्यान्वयन के लिए बाध्य हैं। SDG 4 का लक्ष्य सभी के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश और भागीदारी अनिवार्य है (United Nations, 2006; UN, 2015)। इस प्रकार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ तथा विधिक प्रावधान उच्च शिक्षा में समावेशी शिक्षा के लिए एक ठोस ढाँचा प्रदान करते हैं। ये न केवल प्रवेश और अवसर सुनिश्चित करते हैं, बल्कि संस्थागत सुधार, संसाधनों की उपलब्धता और व्यवहारिक समर्थन के माध्यम से वास्तविक समावेशन को भी सशक्त करते हैं।

4. उच्च शिक्षण संस्थानों में समावेशन की वर्तमान स्थिति

भारतीय उच्च शिक्षा में समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करती है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रवेश में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है, लेकिन प्रतिधारण और सफलता दर अभी भी मुख्यधारा के विद्यार्थियों की तुलना में कम है। शोध से पता चलता है कि कई संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया औपचारिक रूप से समावेशी तो है, किंतु वास्तविक समर्थन और अनुकूलन के अभाव में विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते (Sharma &

Bhatia, 2020)। इसके अतिरिक्त, सामाजिक कलंक और पूर्वाग्रह भी उनकी शैक्षिक यात्रा में बाधक बनते हैं, जिससे प्रतिधारण दर प्रभावित होती है।

भौतिक और डिजिटल पहुँच (Accessibility) उच्च शिक्षा में समावेशन का एक प्रमुख आयाम है। भौतिक दृष्टि से, कैम्पस की संरचना—जैसे रैम्प, लिफ्ट, शौचालय और कक्षा व्यवस्था—अक्सर सभी विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं होती। डिजिटल पहुँच के संदर्भ में, सहायक तकनीक, स्क्रीन रीडर, कैप्शन और ऑडियो-वीडियो संसाधनों की उपलब्धता अनिवार्य है, परन्तु अधिकांश संस्थानों में इसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है (Kumar, 2019)। इन बाधाओं के कारण विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक सहभागिता सीमित रहती है, और उन्हें मुख्यधारा के शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में पूर्ण रूप से शामिल होना कठिन होता है।

पाठ्यक्रम संरचना और लचीलापन भी समावेशन की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम पारंपरिक ढाँचे पर आधारित हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए अनुकूल नहीं होता। समावेशी शिक्षा की दृष्टि से आवश्यक है कि पाठ्यक्रम बहुविकल्पीय, लचीला और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल हों, ताकि विद्यार्थी अपनी गति और शैली के अनुसार सीख सकें (Ainscow et al., 2006)। इसके अलावा, मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली में भी समायोजन की आवश्यकता है। पारंपरिक लिखित परीक्षाएँ और समय-सीमित मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए समय-समय पर वैकल्पिक मूल्यांकन विधियाँ, अतिरिक्त समय और अनुकूलित प्रश्नपत्र जैसे उपाय अपनाना अनिवार्य हैं। अत:, वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समावेशन की दिशा में नीतिगत और कानूनी प्रयास मौजूद हैं, किंतु व्यवहारिक क्रियान्वयन, संसाधनों की उपलब्धता और अकादमिक लचीलेपन के अभाव में वास्तविक समावेशन अभी भी असंतोषजनक स्तर पर है। इसके सुधार के लिए संरचनात्मक परिवर्तन, सहायक तकनीक और संवेदनशील अकादमिक वातावरण की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उच्च शिक्षा में समावेशी शिक्षा केवल प्रवेश या भौतिक पहुँच तक सीमित नहीं है; इसकी सफलता का प्रमुख आधार शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया और उसे लागू करने की रणनीतियाँ हैं। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, मूल्यांकन और कक्षा प्रबंधन इस तरह विकसित किए जाते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे उसकी शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक या मनोसामाजिक क्षमता कुछ भी हो, समान रूप से सीखने और भाग लेने में सक्षम हो। इस दृष्टि से सार्वभौमिक अधिगम रूपरेखा (Universal Design for Learning – UDL) अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में उभरती है। UDL के अनुसार शिक्षण सामग्री को बहुविकल्पीय रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपनी सीखने की शैली, गति और क्षमता के अनुसार ज्ञान ग्रहण कर सकें। यह दृष्टिकोण बहु-संवेदी संसाधनों, वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों और लचीली शिक्षण रणनीतियों के माध्यम से सीखने की प्रक्रियाओं को समावेशी बनाता है (CAST, 2018)।

सहायक प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधन भी समावेशन के महत्वपूर्ण आयाम हैं। आधुनिक उच्च शिक्षा में स्क्रीन रीडर, कैप्शन, ऑडियो-बुक्स, टेबलेट और मोबाइल आधारित एप्लिकेशन, डिजिटल नोट्स और वर्चुअल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करते हैं। शोध यह दर्शाता है कि इन तकनीकी साधनों के प्रभावी उपयोग से न केवल विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि बढ़ती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और सामाजिक समावेशन में भी सुधार होता है (Al-Azawei et al., 2016)।

शिक्षक प्रशिक्षण और संवेदनशीलता समावेशी शिक्षण की नींव हैं। अध्यापन में शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान का आदान-प्रदान करना नहीं, बल्कि विविध क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, उन्हें प्रेरित करना और अनुकूलित शिक्षण रणनीतियों को लागू करना है। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा, सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग और संवेदनशील कक्षा प्रबंधन के विषय शामिल होने चाहिए। प्रशिक्षण से शिक्षकों में दृष्टिकोण परिवर्तन आता है और वे अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनते हैं (Florian & Spratt, 2013)। समावेशी कक्षा प्रबंधन में शिक्षण-निर्देशों को लचीला बनाना, समूह कार्य और सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करना, और

विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप समर्थन प्रदान करना शामिल है। इसके अंतर्गत कक्षा में सहभागिता को बढ़ावा देना, भौतिक और डिजिटल संसाधनों का संतुलित उपयोग करना और मूल्यांकन में वैकल्पिक अवसर प्रदान करना शामिल है। प्रभावी कक्षा प्रबंधन न केवल विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाता है, बल्कि संपूर्ण कक्षा समुदाय के लिए सीखने की गुणवत्ता को भी सुदृढ़ करता है।

5. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियाँ

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में समावेशन का प्रयास, हालांकि नीतिगत और कानूनी दृष्टिकोण से समर्थित है, व्यावहारिक स्तर पर कई जटिल चुनौतियों का सामना करता है। संरचनात्मक और संस्थागत बाधाएँ इनमें प्रमुख हैं। अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों की भौतिक संरचना, जैसे कक्षाएँ, पुस्तकालय, शौचालय और परिवहन सुविधाएँ, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं होती। इसके अतिरिक्त, संस्थागत नीतियाँ और पाठ्यक्रम ढांचे अक्सर पारंपरिक और कठोर होते हैं, जो लचीलापन और वैकल्पिक सीखने के अवसर प्रदान नहीं करते (Kumar & Singh, 2019)। परिणामस्वरूप, विद्यार्थी न केवल शैक्षिक बल्कि सामाजिक गतिविधियों में भी पूर्ण रूप से भाग नहीं ले पाते।

सामाजिक और मनोसामाजिक चुनौतियाँ भी समावेशी शिक्षा में बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी अकादमिक वातावरण में भेदभाव, उपेक्षा या सहयोग की कमी का सामना कर सकते हैं। यह मानसिक दबाव, आत्म-सम्मान की कमी और सामाजिक अलगाव की स्थिति उत्पन्न करता है, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया और अकादमिक प्रदर्शन प्रभावित होता है (Sharma & Bhatia, 2020)। मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियाँ, जैसे चिंता, अवसाद और सामाजिक समायोजन की कठिनाइयाँ, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के प्रतिस्पर्धात्मक और दबावपूर्ण वातावरण में गहन रूप से अनुभव की जाती हैं।

तकनीकी और आर्थिक सीमाएँ भी महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं। सहायक प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों की अनुपलब्धता या असंगतता विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया में बाधक बनती है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत और सहायक सेवाओं पर अतिरिक्त खर्च विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक बोझ उत्पन्न करता है, जिससे कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा तक पहुँचने या उसमें टिके रहने में असमर्थ हो जाते हैं (Al-Azawei et al., 2016)। अंततः, दृष्टिकोणात्मक भेदभाव भी एक गहन चुनौती है। शिक्षक, प्रशासन और सहपाठी विद्यार्थियों की क्षमताओं और संभावनाओं के प्रति पूर्वाग्रहित दृष्टिकोण रखते हैं, जो वास्तविक समावेशन को बाधित करता है। यह न केवल अकादमिक अवसरों को सीमित करता है, बल्कि विद्यार्थियों की आत्म-विश्वास और प्रेरणा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। शोध यह सुझाव देता है कि संवेदनशीलता प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम इस दृष्टिकोणगत भेदभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं (Florian & Spratt, 2013)। इस प्रकार, उच्च शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियाँ बहुआयामी और जटिल हैं। संरचनात्मक, सामाजिक, तकनीकी और दृष्टिकोणात्मक बाधाओं का संयोजन उनके समावेशन को सीमित करता है, और इसके प्रभावी समाधान के लिए संस्थागत सुधार, संसाधन उपलब्धता और दृष्टिकोणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता अनिवार्य है।

6. समावेशी उच्च शिक्षा के लाभ और प्रभाव

समावेशी उच्च शिक्षा केवल विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसर प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यापक अकादमिक, सामाजिक और संस्थागत प्रभाव होते हैं। सबसे पहले, अकादमिक उपलब्धि और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से, समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करती है, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं और उच्च शिक्षा में पूर्ण रूप से भाग ले सकते हैं। शोध दर्शाते हैं कि समावेशी वातावरण में सीखने से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी केवल शैक्षिक दक्षता नहीं बढ़ाते, बल्कि आत्मविश्वास, समस्या समाधान क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता भी विकसित होती है (Rieser, 2012)। यह उन्हें न केवल विश्वविद्यालय की पढ़ाई में सफल बनाता है, बल्कि भविष्य में रोजगार और जीवननिर्वाह में आत्मनिर्भर भी बनाता है।

सामाजिक समावेशन और समान अवसर समावेशी शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ है। जब विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी मुख्यधारा में समान रूप से भाग लेते हैं, तो उनके सहपाठी और शिक्षक भी विविधता और समानता के प्रति संवेदनशील बनते हैं। यह न केवल भेदभाव और पूर्वाग्रह को कम करता है, बल्कि सामाजिक सहयोग, सहिष्णुता और टीम वर्क की भावना को भी मजबूत करता है (Ainscow, 2005)। समान अवसर का यह अनुभव विद्यार्थियों में सामाजिक न्याय और नागरिक उत्तरदायित्व की समझ को भी बढ़ाता है।

संस्थागत विविधता और गुणवत्ता संवर्धन में भी समावेशी शिक्षा की भूमिका निर्णायक होती है। जब उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न क्षमताओं और पृष्ठभूमियों के विद्यार्थी शामिल होते हैं, तो पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन प्रणालियाँ अधिक लचीली और उत्तरदायी बनती हैं। परिणामस्वरूप, न केवल विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं, बल्कि पूरे संस्थान की शिक्षा की गुणवत्ता और नवाचार क्षमता में वृद्धि होती है (Florian & Spratt, 2013)। विविधता आधारित शिक्षण वातावरण आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान की क्षमता को भी प्रोत्साहित करता है। अंततः, दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन समावेशी उच्च शिक्षा का सबसे व्यापक प्रभाव है। जब विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं, तो यह सामाजिक समानता, न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देता है। ऐसे विद्यार्थी समाज में अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देते हैं और सामाजिक कलंक, भेदभाव और असमानता को चुनौती देते हैं। उच्च शिक्षा में समावेशी प्रथाएँ केवल व्यक्तिगत विकास नहीं बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखती हैं (UNESCO, 2017)। इस प्रकार, समावेशी उच्च शिक्षा न केवल विद्यार्थियों की अकादमिक और व्यक्तिगत सफलता सुनिश्चित करती है, बल्कि संस्थागत दक्षता, सामाजिक समानता और दीर्घकालिक न्यायपूर्ण सामाजिक बदलाव में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

7. निष्कर्ष और प्रमुख निष्पत्तियाँ

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा में समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए न केवल अधिकार और अवसर का माध्यम है, बल्कि यह उनके शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। शोध ने यह दर्शाया कि समावेशी शिक्षा के लाभ केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे अकादमिक संस्थान और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मुख्य निष्कर्ष यह हैं कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता में सुधार तब होता है जब संस्थान समावेशी नीतियाँ, बहुविकल्पीय शिक्षण विधियाँ, सहायक प्रौद्योगिकी और लचीले पाठ्यक्रम अपनाते हैं।

इस अध्ययन ने यह भी प्रतिपादित किया कि वर्तमान भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में समावेशन की व्यावहारिक स्थिति मिश्रित है। यद्यपि नीति और विधिक ढांचे—जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016—स्पष्ट और समर्थक हैं, संस्थागत क्रियान्वयन, संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक प्रशिक्षण और दृष्टिकोणगत परिवर्तन में अभी भी अंतराल मौजूद हैं। भौतिक और डिजिटल पहुँच की सीमाएँ, कठोर पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली, तथा सामाजिक और मनोसामाजिक चुनौतियाँ विद्यार्थियों की वास्तविक सहभागिता को प्रभावित करती हैं। उद्देश्य पूर्ति के मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययन ने न केवल समावेशी शिक्षा की सैद्धान्तिक, कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं का विश्लेषण किया, बल्कि उच्च शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के अनुभव और चुनौतियों को भी उजागर किया। यह शोध नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और संस्थागत प्रशासकों के लिए मार्गदर्शक है, जिससे वे समावेशी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें और वास्तविक अकादमिक और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित कर सकें। अतः, यह अध्ययन उच्च शिक्षा में समावेशी शिक्षा के महत्व, प्रभाव और सुधार की दिशा दोनों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है।

संदर्भ सूची

1. Ainscow, M. (2005). *समावेशी शिक्षा प्रणाली का विकास: परिवर्तन के साधन क्या हैं?* Journal of Educational Change, 6(2), 109–124. https://doi.org/10.1007/s10833-005-1298-4

2. Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). *विद्यालयों में सुधार, समावेशन का विकास.* Routledge.
3. Al-Azawei, A., Serenelli, F., & Lundqvist, K. (2016). *सार्वभौमिक अधिगम रूपरेखा (UDL): 2012 से 2015 तक प्रकाशित शोध पत्रों का विश्लेषण.* Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 16(3), 39–56.
4. CAST. (2018). *सार्वभौमिक अधिगम रूपरेखा दिशानिर्देश संस्करण 2.2.* Wakefield, MA: CAST. https://udlguidelines.cast.org
5. Florian, L., & Spratt, J. (2013). *समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन: समावेशी प्रथाओं के विश्लेषण के लिए एक ढाँचा.* European Journal of Special Needs Education, 28(2), 119–135. https://doi.org/10.1080/08856257.2013.778111
6. कुमार, ए., & सिंह, पी. (2019). *भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ.* International Journal of Inclusive Education, 23(12), 1345–1360. https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1502438
7. Rieser, R. (2012). *समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन: संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन के अनुच्छेद 24 के लिए एक मार्गदर्शक.* Commonwealth Secretariat.
8. शर्मा, आर., & भाटिया, आर. (2020). *भारत में समावेशी उच्च शिक्षा: नीति और प्रैक्टिस.* Indian Journal of Educational Research, 41(2), 55–70.
9. Shaywitz, S. (2003). *डिस्लेक्सिया को पार करना: पढ़ाई की समस्याओं के लिए नया और विज्ञान-आधारित कार्यक्रम.* न्यू यॉर्क: Knopf.
10. संयुक्त राष्ट्र. (2006). *दिव्यांगजन अधिकार कन्वेंशन (CRPD).* न्यू यॉर्क: संयुक्त राष्ट्र. https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
11. संयुक्त राष्ट्र. (2015). *सतत विकास लक्ष्य (SDGs 2030).* न्यू यॉर्क: संयुक्त राष्ट्र. https://sdgs.un.org/goals
12. यूनेस्को. (1994). *सलामांका घोषणा और विशेष आवश्यकता शिक्षा पर कार्य ढाँचा.* पेरिस: यूनेस्को.
13. यूनेस्को. (2017). *शिक्षा में समावेशन और समानता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक.* पेरिस: यूनेस्को.
14. भारत सरकार. (2016). *दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016.* नई दिल्ली: भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय.
15. भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय.
16. UGC. (2019). *उच्च शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए दिशानिर्देश.* नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग.
17. AICTE. (2018). *तकनीकी संस्थानों में समावेशी शिक्षा पर AICTE दिशानिर्देश.* नई दिल्ली: ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन.